विविध बैंक प्रकरण संख्या 11/2021(GCMS : 2021/20) पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा गुरूनानक गर्ल्स स्कूल, श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स जय शक्ति पेन्ट हाऊस–प्रो. श्री दर्शन कुमार पुत्र श्री भागचंद निवासी शॉप नं. 7, मेन बस स्टैण्ड के पास, पदमपुर रोड़, श्रीगंगानगर 2. दर्शन कुमार पुत्र श्री भागचंद 3. कला देवी पत्नी श्री भागचंद 4. मैना देवी पत्नी श्री दर्शन कुमार निवासी 51–52 बी भरत नगर, श्रीगंगानगर 5. श्री लालचंद पुत्र श्री चेतराम निवासी वार्ड नं. 12 भत्तों का मोहल्ला, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.02.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 05.02.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स जय शक्ति पेन्ट हाऊस–प्रो. दर्शन कुमार, दर्शन कुमार, कलादेवी, मैना देवी एवं लालचंद को ऋण सुविधा के रूप में 24.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये चौबिस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 06.01.2015 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी दर्शन कुमार एवं कला देवी द्वारा अपना मकान नं. 51–52, चक 6 जैड़, वर्ग नं. 17/26, (क्षेत्रफल 15गुणा 64 फीट (दोनों) यानी कुल 30 गुणा 64 (कुल)) किला नं. 12बी, भरत नगर, श्रीगंगानगर – 335001 प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक [illegible] 2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी [illegible] के नाम दिनांक 31.01.2020 को 29,40,673/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.11 13:07:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 10.02.2020 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थीगण के स्वयं के हस्ताक्षर है **इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणियों दर्शन कुमार एवं कला देवी द्वारा अपना दृष्टि बंधक रखा गया मकान नं. 51–52, चक 6 जैड़, वर्ग नं. 17/26, (क्षेत्रफल 15गुणा 64 फीट (दोनों) यानी कुल 30 गुणा 64 (कुल)) किला नं. 12बी, भरत नगर, श्रीगंगानगर – 335001 का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** मैसर्स जय शक्ति पेन्ट हाऊस–प्रो. दर्शन कुमार, दर्शन कुमार, कलादेवी, मैना देवी एवं लालचंद को 24.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये चौबिस लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 06.01.2015 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणियों दर्शन कुमार एवं कला देवी द्वारा सुरक्षा की एवज में अपना मकान नं. 51–52, चक 6 जैड़, वर्ग नं. 17/26, (क्षेत्रफल 15 गुणा 64 फीट (दोनों) यानी कुल 30 गुणा 64 (कुल)) किला नं. 12बी, भरत नगर, श्रीगंगानगर – 335001 प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **29.07.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 10.02.2020 को जारी किया गया है जिस पर अप्रार्थीगण के स्वयं के हस्ताक्षर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.11 13:37:38 IST
Reason: SelfAttested

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि/वस्तु जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणियों दर्शन कुमार, एवं कलादेवी **की दृष्टि बंधक रखी गई** सम्पत्ति नं. 51–52, चक 6 जैड़, वर्ग नं. 17/26, (क्षेत्रफल 15गुणा 64 फीट (दोनों) यानी कुल 30 गुणा 64 (कुल)) किला नं. 12बी, भरत नगर, श्रीगंगानगर – 335001 का संबंध है, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 10.02.2020 की तामील का प्रश्न है जिस पर अप्रार्थीगण के स्वयं के हस्ताक्षर है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो चुका है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है। शपथ पत्र के अनुसार ऋणियों द्वारा नोटिस पर आपत्ति या अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, उसका उत्तर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणियों को दिया जा चुका है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणियों **दर्शन कुमार एवं कला देवी** के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः **उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2021** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से लिए ऋण की सुरक्षा की एवज में रखा गयी सम्पत्ति नं. 51–52, चक 6 जैड़, वर्ग नं. 17/26, (क्षेत्रफल 15गुणा 64 फीट

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.11 13:07:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

(दोनों) यानी कुल 30 गुणा 64 (कुल)) किला नं. 12बी, भरत नगर, श्रीगंगानगर – 335001 **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.11 13:07:38 IST
Reason: SelfAttested